8342

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000

पच्चीस हजार रुपये

वरिष्ठ कोषाधिकारी
20 AUG 2015
कोषागार
हापुड़

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

फोटो प्रमाणित

524086

मो० हरिश्चन्द्र गुप्ता
तह० क० धौलाना

विक्रय पत्र कृषि भूमि

क्षेत्र	— धौलाना।
1— भूमि का प्रकार	— कृषि
2— परगना	— डासना
3— ग्राम	— खेडा देहात
4— सम्पत्ति का विवरण	— खसरा सं. 1000
5— विक्रीत क्षेत्रफल	— 0.14675 हेक्टेयर

मो० दानिश कुमार   बबीता सिंहल

श्रीमती बबीता सिंघल W/O श्री मोहन कुमार सिंघल
स्वर्णनगर (पिलखुवा)

नम्बर 61 धनराशि 25000/-
नम्बर .... में शमिल किया ।
20 AUG 2015
रोकडिया कोषागार हापुड़

बैनामा 2520000/-

रजि० शुल्क 10000/- प्रति 50/- शुल्क योग 10050/- शब्द लगभग 900

श्री कपिल कुमार शर्मा पुत्र आर० के० शर्मा

पेशा व्यापार निवासी चिपियाना बुजुर्ग सिकन्द्राबाद, गौतम बुद्ध नगर

ने कार्यालय सब-रजिस्ट्रार धौलाना में आज दिनांक 15-9-15

समय मध्य 4 व 5 बजे प्रस्तुत किया।

उप निबन्धक धौलाना
हापुड़
15-9-15

इस लेखपत्र का निष्पादन सुन व समझ कर
सम्पादन एवं इसमें लिखे जर समन मु0 2520000/ रु० पूर्व लेखानुसार
जिसमें से ....
अगदे सोप प्राप्त करकर विक्रेता श्री मोहन कुमार सिंघल S/O स्व०
बजरिये मुख्तारा खास श्रीमती बबीता सिंघल W/O श्री मोहन
कुमार सिंघल नि० 101 मौहल्ला स्वर्णनगर पिलखुवा
ने क्रेता कपिल कुमार शर्मा उपरोक्त ने भी लेखपत्र
का निष्पादन स्वीकार किया।

रजिस्ट्रार दफतर धौलाना

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

वरिष्ठ कोषाधिकारी

20 AUG 2015

रु 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 524087

बबीता सिंहल

2

6– मापन की इकाई — हेक्टेयर
7– सडक की स्थिति — 200 मीटर से अधिक दूर है।
8– बैनामा — 25,20,000 रूपये।
9– बाजारी मूल्य — 25,20,000 रूपये।
10– स्टाम्प शुल्क — 1,76,500 रूपये।

बबीता सिंहल

नम्बर 62 धनराशि 25000/-
नम्बर 61 में शामिल किया।
20 AUG 2015
रोकड़िया कोषागार हापुड़

जिनकी पहचान श्री वीरेन्द्र गुप्ता
पुत्रश्री ओम प्रकाश पेशा व्यापार
निवासी कृष्णा गंज पिलखुवा जि० हापुड़
व श्री सनी कुमार
पुत्रश्री रोहताश पेशा व्यापार
निवासी भगतपुरा हापुड़ ने की

उप निबन्धक धौलाना
15-9-15

रजिस्ट्रार दफतर धौलाना उत्तर प्रदेश
सत्यमेव जयते

मो० दिनेश
बलीन सिंह

सनी

उपरोक्त साक्षी 1-2 के निशानी अंगूठा नियमानुसार के लिए गये जो देखने में भले प्रतीत होते हैं।

उप निबन्धक धौलाना

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

वरिष्ठ कोषाधिकारी

20 AUG 2015

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 524088

फोटो प्रमाणित

हरेन्द्र गुप्ता

तह० क० धौलाना

3

11– आ. वि. शुल्क – शामिल हैं।

12– सर्किल रेट– पृष्ठ 40 कम 71 पर 1,71,00,000/– रूपये प्रति हेक्टेयर है विकय की जा रही कृषि भूमि मे वर्तमान में ज्वार की कच्ची फसल खडी है जिसकी अधिकतम कीमत 6,000/– रूपये है जो कि विकय में शामिल है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

वरिष्ठ कोषाधिकारी
20 AUG 2015
कोषागार
हापुड

भारत

Rs. 25000

25000 पच्चीस हजार रुपये

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 524089

E 524089

हम कि **मोहन कुमार सिंघल** पुत्र स्व. विजय प्रकाश (पैन नं. AWKPS4521L) व **श्रीमति बबीता सिंघल** पत्नि श्री मोहन कुमार सिंघल (पैन नं. GDDPS6796H) निवासीगण मौहल्ला सर्वोदय नगर पिलखुवा परगना डासना तहसील धौलाना जिला हापुड (विक्रेता) प्रथम पक्ष।

मोहन कुमार   बबीता सिंघल

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs. 25000

पच्चीस हजार रुपये

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

वरिष्ठ कोषाधिकारी
20 AUG 2015
कोषागार
हापुड़

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 524090

E 524090

एवम

मैसर्स दिया इन्फ्राप्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड (पैन नं. AADCD.9241N) पंजीकृत कार्यालय यूरेका हाऊस ए.–30/2, गली नं. 3, वैस्ट ज्योति नगर नियर दुर्गा पुरी चौक दिल्ली–110094 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी **कपिल कुमार शर्मा** पुत्र श्री आर. के. शर्मा निवासी ग्राम चिपियाना बुजुर्ग तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर (क्रेता) द्वितीय पक्ष है।:–

नवीन सिंहल

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

वरिष्ठ कोषाधिकारी

20 AUG 2015

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 524091

विवरण कृषि भूमि विक्रीतः–

कृषि भूमि स्थित ग्राम खेडा देहात परगना डासना तहसील धौलाना जिला हापुड में कृषि भूमि खाता संख्या 124 खसरा सं. 1000 रकबा 0.5870 हेक्टेयर में विक्रेतागण ने अपना पूर्ण भाग रकबा 0.14675 हेक्टेयर कृषि भूमि ज्वार की कच्ची फसल सहित प्रस्तुत लेख द्वारा विक्रय की गयी है। इस लेख के उपरान्त विक्रेता का उक्त खसरा नम्बर में कोई हक व हिस्सा शेष नहीं बचा है और न ही भविष्य में माना व समझा जायेगा।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

वरिष्ठ कोषाधिकारी

-1 SEP 2015

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 583208 BG 583208

7

विदित हो कि प्रथम पक्ष ने अपनी उक्त वर्णित कृषि भूमि को विक्रेता ने बजरिये बैनामा दिनॉक 19.05.2012 ई. जिसकी रजि. बही नं. 1 जिल्द 8085 के पृष्ठ 235/260 में नं. 8404 पर हुई है खरीद किया था। उपरोक्त कृषि भूमि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

वरिष्ठ कोषाधिकारी

-1 SEP 2015

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 583209

BG 583209

को विक्रेता ने अपने सभी अधिकार व स्वामित्व सहित हर प्रकार के भूमिधरी, बो जोत, डौला मेन्डा व अधिकार सिंचाई व देनदारी मालगुजारी सरकारी नियत शुदा व अन्य समस्त अधिकार व स्वामित्व आदि जो भी प्रथम पक्ष को उपरोक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में प्राप्त है, को विक्रय की जा रही है। उपरोक्त कृषि भूमि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

वरिष्ठ कोषाधिकारी

- 1 SEP 2015

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 583589

BG 583589

आज दिन तक प्रथम पक्ष की ओर से सर्व प्रकार के ऋण व हस्तान्तरण व भार व अधिकार व शरीक व शिकमी व जमानत व डिग्री व कुर्की व बैंक लोन व बैंक लिमिट व सीलिंग व एक्वीजिशन आदि आदि दोषों से पूर्णतः मुक्त है। उपरोक्त कृषि भूमि को विक्रय करने मे किसी प्रकार की कोई आपत्ति या

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

वरिष्ठ कोषाधिकारी

-1 SEP 2015

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 583590 BG 583590

अड़चन नही है। प्रथम पक्ष विकेता ने अपनी उपरोक्त कृषि भूमि को अपनी स्वेच्छा व प्रसन्नता व स्वस्थ मन व बुद्धि की दशा मे बिना दबाव किसी प्रकार के बदले अंकन 25,20,000/- रूपये आधे जिसके 12,60,000/- रूपये होते है, को केता द्वितीय पक्ष उपरोक्त को पूर्ण प्रकार से विकय कर दिया है व कुल

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

वरिष्ठ कोषाधिकारी
- 1 SEP 2015
कोषागार
हापुड़

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 387895

मूल्य निम्न विवरण के अनुसार प्राप्त करके विक्रीत कृषि भूमि पर क्रेता द्वितीय पक्ष का मौके पर कब्जा कराकर अपने समान भूमिधर व स्वामी व उस पर काविज और दखील करा दिया है। यह विक्रय सत्य और मान्य है कि जिसकी मान्यता सदैव बनी रहेगी। अधिकार का परिवर्तन क्रियान्वित हुआ अब द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह क्रय की भूमि पर कागजात माल विभाग मे प्रथम

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

वरिष्ठ कोषाधिकारी
- 1 SEP 2015
कोषागार
हापुड़

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 387896

पक्ष के स्थान पर अपना नाम दर्ज करा ले यदि उसमे प्रथम पक्ष की किसी लिखित या मौखिक सहमति की आवश्यकता होगी तो प्रथम पक्ष देकर द्वितीय पक्ष का नाम दर्ज करा देगे। अब प्रथम पक्ष व उसके उत्तराधिकारी व स्थानापन्न को वस्तु विकीत व उसके मूल्य कम या बेश के सम्बन्ध मे कुछ वाद विवाद किसी भी प्रकार का करने का शेष नही रहा है और न भविष्य मे किसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

वरिष्ठ कोषाधिकारी

-1 SEP 2015

हापुड़

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 387897

भी समय होगा यदि कोई करेगा तो उसका दायित्व प्रथम पक्ष पर होगा यदि फिर भी किसी के वाद विवाद से कुल या भाग वस्तु विकीत केता द्वितीय पक्ष के भूमिधरी व स्वामित्व अधिकार व कब्जे दखल से निकल जाये या प्रथम पक्ष इस लेख विकय को करने का अधिकारी सिद्व न हो अथवा अन्य किसी अवस्था मे इस लेख की अमान्यता सिद्व हो तो उस सूरत मे द्वितीय पक्ष को अधिकार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

वरिष्ठ कोषाधिकारी
1 SEP 2015
कोषागार
हापुड़

वरिष्ठ कोषाधिकारी
SEP 2015
कोषागार
हापुड़

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 388015

होगा कि वह अपना दिया हुआ मूल्य कुल या भाग या वह रुपया कि जो उनको अपने अधिकारों की रक्षार्थ और देना पडे मये हर्जा व खर्चा ब्याज दर कानूनी सहित प्रथम पक्ष व उसकी सम्पत्ति हर प्रकार से वापिस वसूल कर ले जिस पर प्रथम पक्ष को कुछ विरोध न होगा और प्रथम पक्ष उस सूरत मे द्वितीय पक्ष का समस्त हर्जा व खर्चा देने का पूर्ण उत्तरदायीं होगा। भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 (1) के अर्न्तगत ऐसे सभी तथ्य तथा परिस्थितियॉ जो स्टाम्प देयता को प्रभावित कर सकते है लेखपत्र मे अंकित कर दिये गये है कोई तथ्य छुपाया नही गया है। विक्रीत कृषि भूमि की सीमायें संलग्न नक्शेनुसार है। विक्रीत कृषि भूमि पर पूर्व में भी, वर्तमान में भी कृषि कार्य किया जा रहा है तथा हापुड पिलखुवा महायोजना 2021 में भी उपरोक्त भूमि का

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

वरिष्ठ कोषाधिकारी

-1 SEP 2015

एक हजार रुपये

कोषागार हापुड़

रु.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

वरिष्ठ कोषाधिकारी

ONE THOUSAND RUPEES

कोषागार हापुड़

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 388016

भूउपयोग कृषि दर्शाया गया है। विक्रय की जा रही कृषि भूमि नगर पालिका हापुड की सीमा से 4 कि.मी. से अधिक दूरी पर तथा नगर निगम गाजियाबाद की सीमा से 8 कि.मी. से अधिक दूरी पर स्थित है तथा उक्त कृषि भूमि आयकर अधिनियम की अधिसूचना संख्या 9447 दिनॉक 06.01.1994 ई. के अन्तर्गत आच्छादित है। विक्रीत कृषि भूमि ग्राम समाज की नही है, बाडा या कछियाना प्रकार की नही है, विक्रीत कृषि भूमि के 200 मीटर की परिधि मे आबादी, पेड या नलकूप स्थित नही है। केता विकेता अनुसूचित जाति से नही है। विकेता को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। उपरोक्त विक्रय पत्र में लगाये गये स्टाम्प शुल्क का वहन विकेता द्वारा किया गया है।

मो. इकराम   बबीता सिंहल

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

वरिष्ठ कोषाधिकारी
- 1 SEP 2015
कोषागार
हापुड़

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 388017

विवरण प्राप्ति मूल्यः–

कुल मूल्य प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से इस प्रकार कि अंकन 5,00,000/– रूपये बजरिये चैक नं. 000005 व अंकन 7,60,000/– रूपये चैक नं. 000006 व अंकन 6,00,000/– रूपये चैक नं. 000007 व अंकन 6,60,000/– रूपये चैक नं. 000008 जो सभी चैक बैंक ऑफ बडौदा गाजियाबाद के है, के द्वारा प्राप्त किये।

स्थान – खैराईदान प० डासना

विक्रेता – मोहनकुमार मित्तल S/o विजयप्रकाश (आदि)

क्रेता – कपिलकुमार शर्मा S/o आर. के. शर्मा

खसरा नं 1000 / 0-5870 है – मे अपना पूर्ण भाग रकबा 0-14675 है०

मोहनकुमार प्रवीन सिंह [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

CASHIER
1 SEP 2015
Treasury Office
HAPUR

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH X 654122

17

अतः यह लेख विक्रय पत्र पक्षगण ने अपनी स्वेच्छा व प्रसन्नता व स्वस्थ मन व बुद्धि की दशा मे लिखा दिया कि प्रमाण हो व समय पर काम आवे। इति:–

Virendra Gupta
S/o Mr. Kushal Pal
Krishan Ganj
Pilkhuwa
(Hapur)
U.P.

सनीकुमार S/o
श्री रविन्द्रनाथ
R. अनवरपुर
हापुड

ह. गवाह ——— हरेन्द्र गुप्ता तह० क० धौलाना

ह. गवाह ——— हरेन्द्र गुप्ता

हरेन्द्र गुप्ता बैनामा लेखक क० धौलाना
लाइसेन्स नं० 65
20..16..तक तहसील धौलाना जि० हापुड़
ली गयी फीस..................
दस्तावेज लेखक के हस्ताक्षर..........

दिनॉक – 15.09.2015 ई.

7/2 मनराशि 500/- दि. 8/9/15

– – SEP 2015

नितिन कुमार शिशौदिया स्टाम्प विक्रेता
लाईसेन्स नं०–22,
तहसील कम्पाउण्ड, धौलाना (हापुड़)
लाईसेन्स की अवधि– 31-3-2016

उप रजिस्ट्रार दफतर धौलाना
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

बही नम्बर 1 जिल्द 1437 के पृष्ठ 137/172
में नम्बर 8342 पर आज दिनांक 15/9/15
रजिस्ट्री की गई।

उप निबन्धक धौलाना
हापुड़